

राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य(ग्रुप-2) विभाग
क्रमांक:पं025(1) चि.स्वा./2/2017

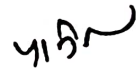
जयपुर, दिनांक: 06.12.2017

आदेश

राजकीय चिकित्सालयों में पोस्टमार्टम करने वाले चिकित्सक को, प्रति पोस्टमार्टम रु. 400/- (रु. चार सौ मात्र) तथा पोस्टमार्टम में सहयोग करने वाले सहायक कर्मचारी को रु. 100/- (रु. एक सौ मात्र) पोस्टमार्टम भत्ता दिये जाने की एतद् द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है। यदि पोस्टमार्टम बोर्ड द्वारा किया जाता है तो उक्त भत्ते की राशि रु. 400/- बोर्ड के अध्यक्ष को ही देय होगी तथा रु. 100/- संबंधित सहायक कर्मचारी को देय होगी। इस पर होने वाला व्यय संबंधित चिकित्सक/कार्मिक के संवेतन मद से वहन किया जायेगा।

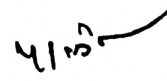
यह स्वीकृति वित्त (नियम) विभाग विभाग की आई.डी. संख्या 101706138 दिनांक 02.12.2017 के द्वारा प्रदत्त सहमति के अनुसरण में जारी की जा रही है।

यह आदेश तुरन्त प्रभाव से प्रभावी होगा।


(पारस चन्द जैन)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय राज0 सरकार।
2. विशिष्ट सहायक, मा0मंत्री महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
3. विशिष्ट सहायक, मा0 राज्य मंत्री महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
4. प्रधान महालेखाकार (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखा परीक्षा), राज0 जयपुर।
5. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग।
6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
7. शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग।
8. शासन संयुक्त सचिव, वित्त (नियम) विभाग।
9. समस्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ राज0, जयपुर।
10. समस्त प्राचार्य, मेडिकल कॉलेज, राज0।
11. वित्तीय सलाहकार, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ राज0, जयपुर।
12. प्रभारी सर्वर रूप, मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड कर सभी को ई-मेल द्वारा भिजवाये।
13. एकल पत्रावली डी-287 दिनांक 14.11.17
14. रक्षित पत्रावली।


शासन उप सचिव

राजस्थान सरकार
चिकित्सा शिक्षा (गुप-1) विभाग

क्रमांक : प. 16(47)एमई/गुप-1/2017 पार्ट-II

जयपुर, दिनांक 22 DEC 2017

आदेश

राजकीय मेडिकल कॉलेजों से सम्बद्ध राजकीय चिकित्सालयों में पोस्टमार्टम करने वाले चिकित्सक शिक्षक को प्रति पोस्टमार्टम रुपये 400/- (रुपये चार सौ मात्र) तथा पोस्टमार्टम में सहयोग करने वाले सहायक कर्मचारी को रुपये 100/- (रुपये एक सौ मात्र) पोस्टमार्टम भत्ता दिये जाने की एतद्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है। यदि पोस्टमार्टम बोर्ड द्वारा किया जाता है तो उक्त भत्ते की राशि रुपये 400/- (रुपये चार सौ मात्र) बोर्ड के अध्यक्ष को ही देय होगी तथा रुपये 100/- (रुपये एक सौ मात्र) संबंधित सहायक कर्मचारी को देय होगी। इस पर होने वाला व्यय संबंधित चिकित्सक शिक्षक/कार्मिक के संवेतन मद से वहन किया जायेगा।

यह स्वीकृति वित्त (नियम) विभाग की आई.डी. संख्या 101706655 दिनांक 22.12.2017 के द्वारा प्रदत्त सहमति के अनुसरण में जारी की जाती है।

यह आदेश तुरन्त प्रभाव से प्रभावी होंगे।

आज्ञा से,

(भगवत सिंह)

शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज., जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज., जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज., जयपुर।
5. प्रधान महालेखाकार (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखा परीक्षा), राज., जयपुर।
6. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (नियम) विभाग।
7. अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन), निदेशालय चिकित्सा शिक्षा, जयपुर।
8. समस्त प्रधानाचार्य एवं नियन्त्रक, मेडिकल कॉलेज।
9. वित्तीय सलाहकार, निदेशालय चिकित्सा शिक्षा, जयपुर।
10. सहायक प्रोग्रामर, चिकित्सा शिक्षा विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
11. रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव